प्रकरण संख्या 35 / 2018 (35 / 2016)
एनसीवी नम्बर 105 / 2018
सरकार बनाम जगदीश वगैरा

29.03.2019

अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित।

बहस आरोप सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा कि प्रथमदृष्टया अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं हे जिससे ये निष्कर्ष निकलता हो कि सामान्य आशय के अनुक्रम में मृतक श्योजीराम की अभियुक्तगण ने मृत्यु कारित करने के आशय से वार करते हुये हत्या कारित की हो तथा यह भी तर्क रहा कि मृतक श्योजीराम के सम्पूर्ण मेडिकल दस्तावेज भी पत्रावली पर नहीं है जिससे ये प्रमाणित हो कि कब से मृतक अस्पताल में भर्ती रहा। अभियुक्तगण के विरूद्व प्रथमदृष्टया धारा 302 आई पी सी का अपराध प्रकट नहीं होता है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक का यह तर्क रहा कि पत्रावली पर प्रथमदृष्टया मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध है तथा पूर्व में आरोपी जगदीश पुत्र नाथूराम, बाबूलाल पुत्र नाथूराम, रामू पुत्र प्रभाती लाल, रामस्वरूप पुत्र जगदीश के विरूद्व धारा 143,147,148,149,323,341,325,307 आई.पी.सी. के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत हुआ था, शेष आरोपी महेन्द्र पुत्र जगदीश, श्रीमती राजा देवी पत्नी श्री जगदीश, श्रीमती कमली देवी पत्नी श्री बाबूलाल व अनिता, हंसा, मोना के विरूद्व 173 (8)सीआरपीसी में अनुसंधान जैर तफ्तीश रखा था। अतः प्रथमदृष्टया आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार है।

उभय पक्षों को सुना, पत्रावली का सुक्ष्म अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में परिवादी बाबूलाल के द्वारा दिनांक 20.04.2016 को थाना सेज में उपस्थित होकर एक तहरीरी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें बताया कि करीब 6 बजे शांम को मैं और मेरे भाई सुरेश कन्हैया लाल तीनों टयूबवेल व पानी के होद के पास नोहरा में बैठे थे, उसी समय जगदीश, बाबूलाल पुत्र नाथूराम, रामस्वरूप, महेन्द्र पुत्र जगदीश ने नोहरे से लगती हुई जमीन पर तारबन्दी व पत्थर गाडना शुरू किया तो मैंने व मेरे भाईयों ने जमीन की तरफ अतिक्रमण करके खम्भे गाडने से मना किया जिसपर उन्होंने गाली गलोच की और रामू पुत्र प्रभाती निवासी पंवालिया जो उनका बहनोई लगता था उसने उकसाया और कहा कि सालों को मारो

जिसपर श्रीमती राजा देवी पत्नि जगदीश, श्रीमती कमली देवी पत्नि बाबूलाल व जगदीश की लडकिया अनिता, हंसा, मोना भी आ गई और जान से मारने की नियत से सरिया, लोहे के पाईपों व कुल्हाडी, लाठियों से जानलेवा हमला किया। बीच बचाव करवाने चाचा श्योजीराम आये तो जगदीश ने सरिये की मारी जिससे श्योजीराम का सिर फट गया, बाबूलाल ने पाईप से श्योजीराम के सिर में मारी जिससे वह जमीन पर गिर गया तब महेन्द्र ने कुल्हाडी की सिर में मारी और रामू खोखर पंवालिया ने लाठी की मारी और औरतों ने सुरेश को पकड लिया तथा रामस्वरूप ने सरिये से मारपीट की जिससे वे घायल हुये। सभी मुलजिमान ने जानलेवा हमला करने की नियत से प्राण घातक हमला किया जिससे श्योजीराम गंभीर रूप से घायल हो गया मरणासन्न अवस्था में साकेत अस्पताल के आईसीयू में भर्ती रहा ।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक और प्रलेखीय साक्ष्य बाबत दस्तावेज का अवलोकन किया जिससे प्रथमदृष्टया मजरूबान के चोट प्रतिवेदन एवं साकेत अस्पताल में मृतक श्योजीराम से संबंधित दस्तावेज पत्रावली पर है। पत्रावली पर मृतक श्योजीराम की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट उपलब्ध है जिसमें मृत्यु का कारण Septiaemic shock head injury आना बताया है तथा मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट मृतक की head injury बाबत चोटों की प्रकृति बाबत मेडिकल बोर्ड की राय रही है कि यह चोट प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी।

हमारी विन्रम राय में पत्रावली पर मजरूबान के चोट प्रतिवेदन, मृतक की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, धारा 161सीआरपीसी के तहत लेखबद्व किये गये बयानात एवं तितम्बा बयानात उपलब्ध है जिससे प्रथमदृष्टया यह सामने आया है कि अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य उद्वेश्य के अनुक्रम में विधि विरूद्व जमाव का गठन करते हुये परिवादी पक्ष के साथ मारपीट कर साधारण व गंभीर उपहति कारित हुई साथ ही मृतक श्योजीराम के head injury कारित हुई जिस बाबत मेडिकल बोर्ड के अनुसार चोटों की प्रकृति प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित होने के लिए पर्याप्त होना बताया। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया जो साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है उससे अभियुक्तगण के विरूद्व धारा 147, 148, 323, 341, 325/149, 302/34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार मौजूद है।

जहां तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह कहना कि

पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित विरचित किये जावे। इस तर्क से हम उपरोक्त विवेचनानुसार सहमत नहीं है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्व धारा 147, 148, 323, 341, 325/149, 302/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप विरचित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश आज दिनांक 29.03.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

आदेशानुसार अभियुक्तगण जगदीश,बाबूलाल पुत्र नाथूराम,रामू, रामस्वरूप,कमली देवी,राजा देवी को धारा 147, 148, 323, 341, 325/149, 302/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

साक्ष्य अभियोजन में गवाह संख्या 1 से 2 को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभ्योजन हेतु दिनांक 13.05.2019 को पेश हो।